



राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०

"किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

दूरभाष : 0522-2720383, 284, 137, 138, 139 फैक्स : 0522-2720056

ई-मेल: dirmandi@gmail.com वेबसाइट: www.upmandiparishad.upsdc.gov.in



विज्ञापित

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र० में निम्न पदों को शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों (यथा-सार्वजनिक उपकरणों/स्वायत्तशासी संस्थाओं) के नियमित कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति से भरा जाना प्रस्तावित है:-

| क. | पदनाम | प्रतिनियुक्ति हेतु पदों की संख्या | छठवें वेतनमान में वेतनमान एवं ग्रेड वेतन | कार्मिक की वांछित शैक्षिक अर्हता | अभ्युक्ति |
|----|-----------------|-----------------------------------|--|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | विधि अधिकारी | 02 | 15600-39100 वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन 5400 | विधि स्नातक के साथ बार-काउन्सिल आफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त बार काउन्सिल में रजिस्टर्ड हों एवं बार काउन्सिल /बार एशोसियेशन द्वारा प्रदत्त 05 वर्ष की प्रैक्टिस का प्रमाण-पत्र हो। | - |
| 2 | उप निदेशक(विधि) | 01 | 15600-39100 वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन 6600 | उप निदेशक(विधि) का पद विधि अधिकारी के पद से 05 वर्ष की सेवा के पश्चात् पदोन्नति से भरे जाने का प्राविधान है। अतः शैक्षिक योग्यता उपरोक्तानुसार। | - |

प्रतिनियुक्ति हेतु अर्हता, कार्यकाल तथा सामान्य नियम एवं शर्तें निम्नवत् हैं:-

- (1) प्रतिनियुक्ति हेतु शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों (यथा-सार्वजनिक उपकरणों/स्वायत्तशासी संस्थाओं) के नियमित कार्मिक ही पात्र होंगे।
- (2) प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कार्मिक का मूल विभाग में पद एवं वेतनमान, मण्डी परिषद के सम्बन्धित पद एवं वेतनमान के समकक्ष होना चाहिए।
- (3) 55 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण करने वाले कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर नहीं लिया जायेगा।
- (4) सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध विगत वर्षों (अधिक की स्थिति में अन्तिम 10 वर्षों) में कोई दण्डादेश व प्रतिकूल प्रविष्टि विद्यमान न हो तथा सभी वर्षों की सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो। वर्तमान में कोई अनुशासनिक कार्यवाही, प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही एवं आपराधिक आरोप पर किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन न हो।
- (5) प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल सम्बन्धित पद हेतु लोक सेवा आयोग को प्रेषित अध्याचन के क्रम में सीधी भर्ती की कार्यवाही पूर्ण होने अथवा 03 वर्ष जो भी कम हो, तक के लिए होगा। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत किसी भी कर्मी की प्रतिनियुक्ति को किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार मण्डी निदेशक को होगा।
- (6) प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉचोंपरान्त उपयुक्त पाये गये आवेदकों के सम्बन्ध में उनके पैतृक विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, उनके मूल विभाग से विगत(अधिक की स्थिति में अन्तिम 10) वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का सार संक्षेप, प्रासंगिक वैयक्तिक सेवा अभिलेखों यथा दण्ड आदि के विवरण तथा बाह्य सेवा की सामान्य शर्तें अपेक्षित होंगी।

- (7) किसी भी सरकारी सेवक को मण्डी परिषद में दूसरी बार प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने से पूर्व पैतृक विभाग में बीच की सेवा अवधि सामान्यतया कम से कम दो वर्ष होगी।
- (8) आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति देने अथवा पैतृक विभाग से अग्रसारित हो जाने अथवा पैतृक विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देने से किसी कार्मिक को प्रतिनियुक्ति पर चयन का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (9) बाह्य सेवकों का मण्डी परिषद में किसी भी दशा में आमेलन नहीं किया जायेगा।
- (10) प्रतिनियुक्ति के दौरान किसी कार्मिक की मृत्यु हो जाने पर मृतक आश्रित के सेवायोजन सम्बन्धी कोई लाभ मण्डी परिषद से देय नहीं होगा।
- (11) प्रतिनियुक्ति के विषय में उ० प्र० शासन से समय-समय पर निर्गत शासनादेश सम्बन्धित कर्मियों पर लागू होंगे।
- (12) मण्डी परिषद में प्रतिनियुक्ति पर आये कार्मिक का मण्डी परिषद सेवा से सम्बन्धी कोई प्रकरण यदि उत्पन्न होता है तो वे प्रथमतः अपना प्रत्यावेदन निदेशक मण्डी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- (13) मण्डी परिषद में प्रतिनियुक्ति पर आये कार्मिक का किसी भी प्रकार का विवाद यदि मण्डी परिषद से होता है तो न्यायिक क्षेत्र/स्थान लखनऊ होगा।
- (14) प्रतिनियुक्ति पर योगदान करते समय सम्बन्धित कार्मिक को इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग देनी होगी कि मण्डी परिषद में प्रतिनियुक्ति अवधि में उक्त सभी शर्तें एवं प्राविधान उन पर लागू होंगे और वह इसके विपरीत कोई कार्य नहीं करेगा।

- नोट:1. प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक कार्मिकों के आवेदन पत्र दिनांक: 29.7.2020 तक ग्राह्य किये जायेंगे। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र विचार हेतु ग्राह्य नहीं होंगे।
2. प्रतिनियुक्ति हेतु संलग्न प्रारूप पर आवेदन पत्र निदेशक मण्डी परिषद को सम्बोधित कर किसान मण्डी भवन के प्रथम तल पर स्थापित केन्द्रीय पत्र प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग को प्राप्त कराए जायेंगे।
 3. प्रतिनियुक्ति हेतु रिक्त पदों का विवरण, अर्हता, कार्यकाल सामान्य नियम एवं शर्तें तथा आवेदन पत्र का प्रारूप मण्डी परिषद की वेबसाइट—www.upmandiparishad.upsdc.gov.in पर भी देखी एवं डाउनलोड की जा सकती हैं।

मण्डी निदेशक

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद में प्रतिनियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदन-पत्र

अद्यावधिक
पासपोर्ट साईज
का फोटोग्राफ

1. आवेदक का पूरा नाम-
2. पिता का नाम-
3. जन्मतिथि-
4. विधि स्नातक अन्तिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष
5. बार काउन्सिल आफ इण्डिया में रजिस्ट्रेशन कराने की तिथि
6. बार काउन्सिल/बार एसोसिएशन द्वारा प्रदत्त प्रदत्त 05 वर्ष के पैक्टिस प्रमाण-पत्र
7. पैतृक विभाग का विवरण-
- (क) विभाग का नाम
- (ख) विभागाध्यक्ष का पदनाम
- (ग) नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम
8. पैतृक विभाग में नियुक्ति का विवरण-
- (क) प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि
- (ख) योगदान तिथि
- (ग) प्रथम नियुक्ति का पद
- (घ) प्रथम नियुक्ति के समय शैक्षिक अर्हता
9. वर्तमान पद का विवरण-
- (क) वर्तमान पदनाम-
- (ख) पद का साधारण वेतनमान एवं ग्रेडवेतन
- (ग) ए0सी0पी0 के रूप में प्राप्त हो रहा वेतनमान एवं ग्रेड वेतन
- (घ) कुल परिलब्धियों
- (ङ) वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम
10. आरक्षित वर्ग/सामान्य वर्ग-
11. गृह निवास का पता-
- (क) स्थाई
- (ख) अस्थायी
12. मण्डी परिषद में पूर्व में प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहने की स्थिति में विवरण-
- (क) पदनाम-
- (ख) तैनाती कार्यालय का नाम एवं कार्य अवधि
13. मण्डी परिषद में प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदित पद-
14. मोबाइल नं0-

दिनांक:-

स्थान:-

हस्ताक्षर:-

आवेदक का नाम:-

वर्तमान तैनाती/कार्यालय का नाम:-

घोषणा-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई उपर्युक्त सभी सूचनाएं सही हैं। यह भी प्रमाणित करता हूँ कि विगत 10 वर्षों में मेरे विरुद्ध कोई दण्डादेश या प्रतिकूल प्रविष्टि विद्यमान नहीं है तथा सभी वर्षों की सत्यनिष्ठा प्रमाणित है। वर्तमान में मेरे विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही, प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही एवं अपराधिक आरोप पर किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है।

दिनांक:-

स्थान:-

हस्ताक्षर:-

आवेदक का नाम:-

वर्तमान तैनाती/कार्यालय का नाम:-